न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या **45/2025** दायर दिनांक **29.01.2025**

वादी		**प्रतिवादी**
1. हरीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी बुडोद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना— कुचामन राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार छोटीखाटू

राजस्व—वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—
श्री अशोक भाकर एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **13.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बुडोद पटवार हल्का आगुन्ता के खेत खसरा सं0 154 रकबा 3.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 45 रकबा 1.9700 हैक्टे0, खसरा सं0 451 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 452 रकबा 3.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 46 रकबा 2.3000 हैक्टे0 भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का दस्तावेजों आधार कार्ड , राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जनआधार कार्ड में वास्तविक नाम हरी राम है जो सही व सत्य है। इसलिए हरलाल पुत्र लिखमाराम का नाम हटाया जाकर प्रार्थी हरीराम पुत्र लिखमाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

राजस्व ग्राम बुडोद पटवार हल्का आगुन्ता के खेत खसरा सं0 154 रकबा 3.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 45 रकबा 1.9700 हैक्टे0, खसरा सं0 451 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 452 रकबा 3.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 46 रकबा 2.3000 हैक्टे0 भूमि में हरलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर हरी राम पुत्र लिखमाराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी का नाम हरी राम पुत्र लिखमाराम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/भु.अ./2025/264 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वादी का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद बुडोद पटवार हल्का आगुन्ता के खेत खसरा सं0 154, 45, 451, 452, 46 में हरलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर हरी राम पुत्र लिखमाराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटीखाटू की रि[illegible]सार ग्राम बुडोद के जमाबंदी संवत् 2024—2027 के खाता संख्या [illegible]/65 दि. फौत 30.05.66 के अनुसार खसरा संख्या 230/350, 62/274 में से [illegible] वगै. के स्थान पर मानाराम, हरीराम पि. लिखमाराम दर्ज किया गया [illegible] जमाबंदी चौसाला संवत् 2028—31 बनाते समय हरीराम के स्थान पर हरलाल पुत्र लिख[illegible]ाम दर्ज हो गया। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:28 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

के चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जनआधार में नाम हरीराम पुत्र लिखमाराम दर्ज है। ग्राम बुडोद के आम गुवाड में मौजिज लोगों से पुछताछ पर हरलाल पुत्र लिखमाराम नाम ना होकर हरीराम पुत्र लिखमाराम होना बताया गया। इनके अलावा हरलाल पुत्र लिखमाराम व हरीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट का अन्य व्यक्ति नही है। अतः हरलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर हरीराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर हरीराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट किये जाने के अनुशंषा की जाती है। अतः जमाबंदी चौसाला संवत् 2028–31 बनाते समय हरीराम के स्थान पर हरलाल दर्ज हुआ है। वादी अपने नाम का गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी चौसाला संवत् 2028–31 बनाते समय राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद बुडोद पटवार हल्का आगुन्ता के खेत खसरा सं0 154, 45, 451, 452, 46 में हरलाल पुत्र लिखमाराम के स्थान पर हरी राम पुत्र लिखमाराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.08.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19.28 IST
Reason: SelfAttested